

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर



Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक - / 23 एल0ए0
सेवा में,

दिनांक- 19 / 04 / 2025

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय- जनपद चमोली के अन्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.713 हे. भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक 8 बी0/यू0सी0पी0/06/136/2016 दिनांक 31.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार 8 बी0/यू0सी0पी0/06/136/2016 एस0पी0/1337/दिनांक 02.09.2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वरीकृति प्रदान की गयी, पूर्व प्रस्तुत अनुपालन आख्या में निम्न बिन्दुओं पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रेषित की जा रही है।

1:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1660 वृक्षों का प्राक्कलन तैयार कर सलंगन है।

2:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि के डिजीटल एवं जियोरिफरेन्स मैप सलंगन कर प्रेषित।

अतः अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं पर चाही गयी सूचना उच्चाधिकारियों को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

पत्रांक - 874 / 23 एल0ए0

तददिनांकित

प्रतिलिपि-

सहायक अभियन्ता (प्रथम) प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० गोपेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित कि वन विभाग एवं राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:-

खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

परियोजना का नाम- जनपद चमोली के माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत -ल्वं-दिगोली-मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.660 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन।

वृक्षारोपण स्थल का नाम- कुजौ मैकोट बीट के अन्तर्गत कौंज पोथनी सिविल

रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या- 1826 पौध।

रोपित की जाने वाली प्रजाति- मिश्रित प्रजाति।

क्र०सं.	कार्य का विवरण	सं०	ल०	चौ०	ऊ०	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि
प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)									
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में सर्वेक्षण/सीमांकन कार्य					1.66	209.25	है०	347.36
2	स्थल सफाई कार्य					1.66	6523.58	है०	10829.14
3	गड्ढे खुदान एवं रेखांकन कार्य चूना सहित (0.30×0.30×0.45 मी०)					1826	14.28	प्रतिगड्ढा	26075.28
4	पत्थरों की कुली दीवाल बनाना 15 सेमी० बुनियाद सहित(500 से 1000 मी० दुलान तक)	1	539.00	0.45	1.20	291.06	773.24	घ०मी०	225059.23
5	कण्डूर फर हेतु रेखांकन		3.00	0.30	0.20	400	1.42	प्रति सं०	568.00
6	कण्डूर फर खोदना		3.00	0.30	0.20	400	137.56	प्रति सं०	55024.00
9	मृदा एवं जल संरक्षण हेतु कच्चे चाल खालों का निर्माण एवं अन्य अभियन्त्रिकी कार्य					1.66	11984.00	है०	19893.44
10	निरीक्षण बटिया बनाना	1							
11	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)					1.66	1314.09	है०	2181.39
12	अन्य प्रकीर्ण व्यय (बीज बोना, पानी की व्यवस्था इत्यादि)					1826	24.20	प्रति पौध	44189.20
13	रिगाल के राइजोम एकात्रित करना मय दुलान रोपण कार्य					1.66	1200.51	है०	1992.85
14	गली प्लग हेतु बुनियाद खुदान कार्य	6	2.60	1.00	0.30	4.68	868.07	प्रति 100 सं०	13021.05
15	बुनियाद सहित गली प्लग निर्माण कार्य	6	2.60	1.00	1.20	18.72	424.80	प्रति घ०मी०	1988.064
							2415.90	प्रति घ०मी०	45225.648
योग प्रथम चरण									446394.65
द्वितीय चरण									
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30×0.30×0.45) रेखांकन चूना सहित					1826.00	2.45	प्रतिगड्ढा	4473.70
2	कण्डूर फरों में बीज बोना (बीज एकात्रीकरण तथा कटिंग दुलान सहित)					400	10.42	प्रति फर	4168.00
3	पौध दुलान कार्य						14.25	प्रति पौध	26020.50
4	पौध रोपण कार्य					1826	4.61	प्रति पौध	8417.86
5	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष					1826	4.31	प्रति पौध	7870.06
6	पौधों की प्रथम द्वितीय निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य					1826	7.10	प्रति	12964.60
7	चौकीदारी माह अगस्त से मार्च तक (08 माह)	8					1.66	प्रति है०/प्रति माह	13657.15
8	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य						820.13	ल०स०	1361.42
9	अन्य प्रकीर्ण व्यय					1.66	2040.00	प्रति है०	3386.40
योग द्वितीय वर्ष									82319.69
तृतीय वर्ष									
1	तृतीय वर्ष में 10 प्रतिशत वीटिंग अप हेतु पौध की लागत					183	34.44	प्रति पौध	6302.52
2	पौध दुलान कार्य					183	14.25	प्रति पौध	2607.75
3	गड्ढा खोदना, कीटनाशक मिलाकर भरान एवं थावलाबन्दी कर रोपण करना					183	20.60	प्रति पौध	3769.80
4	शीतकालीन निराई गुड़ाई प्रथम, द्वितीय बार					1826	6.05	प्रति प्रति पौध	11047.30
5	तृतीय वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12					1.66	प्रति है०/प्रति माह	20485.73
6	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य						820.13	प्रति है०	1361.42
7	अन्य व्यय					1.66		ल०स०	5000.00
योग तृतीय वर्ष									50574.51
चतुर्थ वर्ष									

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

वन प्रभु अधिकारी
गोपेश्वर वन क्षेत्र
देवरनाथ वन जीव

1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			1.66	1028.40	प्रति हे०/प्रति माह	20485.73
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य				1.66	820.13	ल०सं०	1361.42
3	पोथी की निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य				1826	7.00	प्रति सैकड़ा	12782.00
योग चतुर्थ वर्ष								34629.14
पंचम वर्ष								
1	पंचम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			1.66	1028.40	प्रति हे०/प्रति माह	20485.73
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य				1.66	820.13	प्रति हे०	1361.42
योग पंचम वर्ष								21847.14
षष्ठम वर्ष								
1	षष्ठम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			1.66	1028.40	प्रति हे०/प्रति माह	20485.73
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य				1.66	820.13	प्रति हे०	1361.42
योग षष्ठम वर्ष								21847.14
सप्तम वर्ष								
1	सप्तम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			1.66	1028.40	प्रति हे०/प्रति माह	20485.73
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य				1.66	820.13	प्रति हे०	1361.42
योग सप्तम वर्ष								21847.14
अष्टम वर्ष								
1	अष्टम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			1.66	1028.40	प्रति हे०/प्रति माह	20485.73
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य				1.66	820.13	प्रति हे०	1361.42
योग अष्टम वर्ष								21847.14
नवम वर्ष								
1	नवम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			1.66	1028.40	प्रति हे०/प्रति माह	20485.73
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य				1.66	820.13	प्रति हे०	1361.42
योग नवम वर्ष								21847.14
दशम वर्ष								
1	दशम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			1.66	1028.40	प्रति हे०/प्रति माह	20485.73
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य				1.66	820.13	प्रति हे०	1361.42
योग दशम वर्ष								21847.14
total								745000.86
or say								744993.06

प्रमुख वन सं० (MofF) के कार्यालय के मातांक 1459/3-5-2 (अ.व) दि०

1/10/2021 द्वारा CM हेतु निर्धारित सीलिंग

अनुसार देय धनराशि = 1.66×448791.00

= 7,44,993.06

Or say = 7,44,993.00

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

वन क्षेत्र अधिकारी
गोपेश्वर वन क्षेत्र
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

जांच किया रूपये 7,44,993.00 मात्र
के लिए।

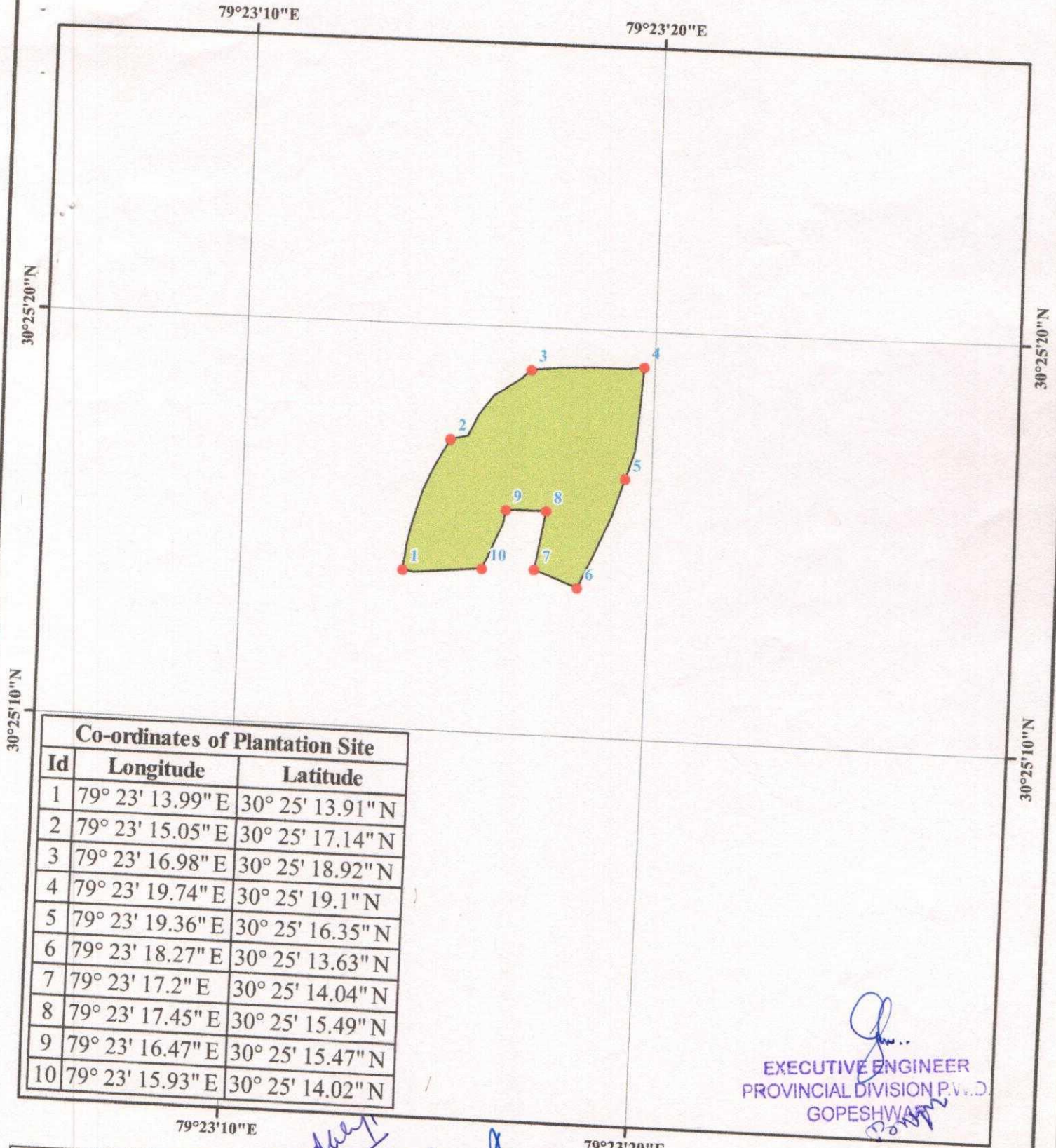
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

प्रभाग वन अधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

जियोरैफरेन्स मैप :- जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 110/2014 के अंतर्गत
त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूरक
वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल 1.66 है0)

0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4
Km

Scale-1:4,000



Co-ordinates of Plantation Site

Id	Longitude	Latitude
1	79° 23' 13.99" E	30° 25' 13.91" N
2	79° 23' 15.05" E	30° 25' 17.14" N
3	79° 23' 16.98" E	30° 25' 18.92" N
4	79° 23' 19.74" E	30° 25' 19.1" N
5	79° 23' 19.36" E	30° 25' 16.35" N
6	79° 23' 18.27" E	30° 25' 13.63" N
7	79° 23' 17.2" E	30° 25' 14.04" N
8	79° 23' 17.45" E	30° 25' 15.49" N
9	79° 23' 16.47" E	30° 25' 15.47" N
10	79° 23' 15.93" E	30° 25' 14.02" N

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

Legend

- GPS Coordinates
- Plantation Site

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

सहायक अभियन्ता
जिला खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर वन क्षेत्र

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

डिजिटल मैप:-जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 110/2014 के अंतर्गत
ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूरक
वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल 1.66 है0)

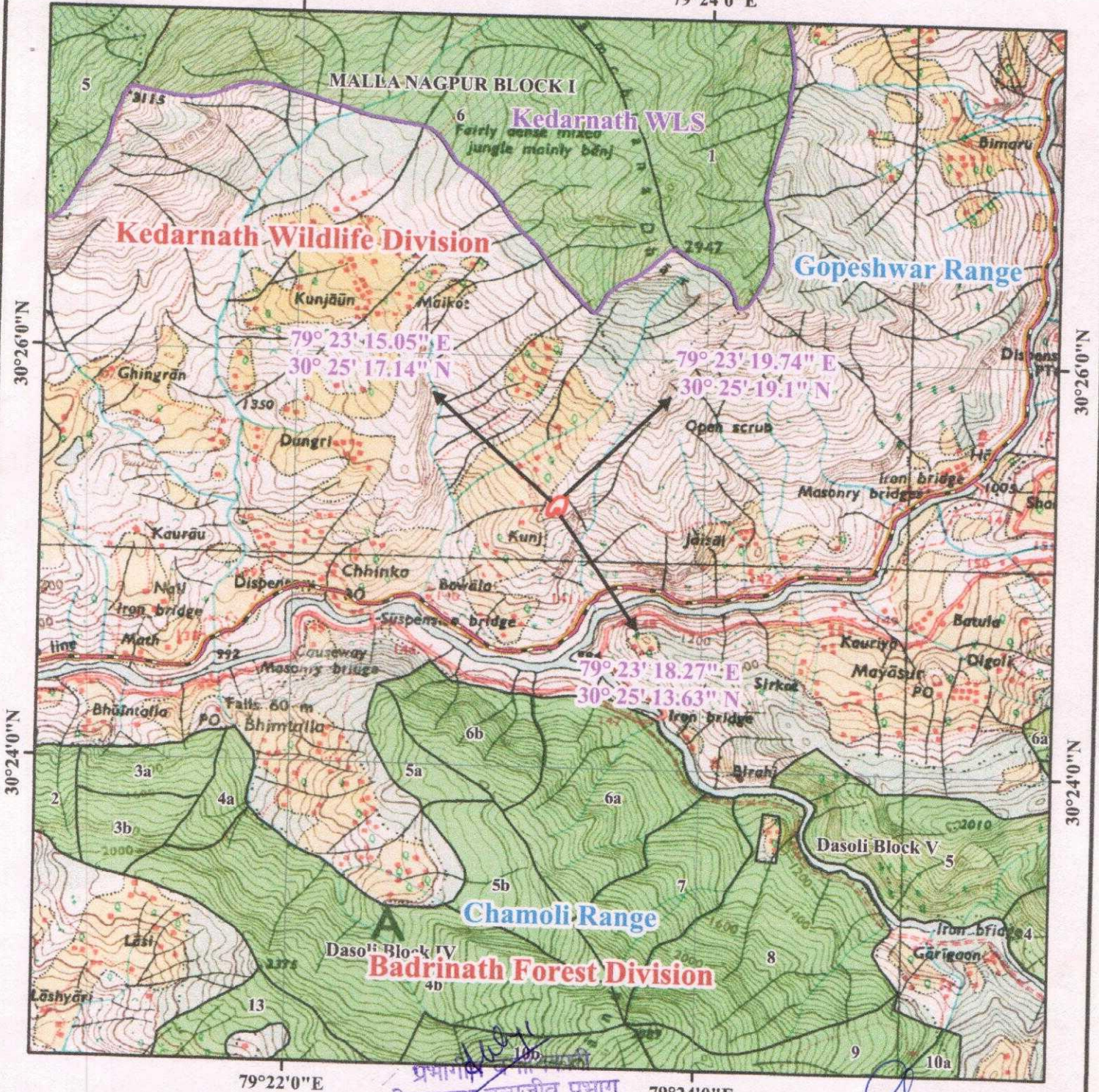
0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale-1:50,000

SOI Toposheet No: 53 N/07

79°22'0"E

79°24'0"E



Legend

- Range Boundary
- Reserve Forest Area
- Division Boundary
- Proposed Land

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

वन क्षेत्रधिकारी
गोपेश्वर वन क्षेत्र

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर



Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक— 2885 / 23 एल0ए0
सेवा में,

दिनांक— 28-12-2024

प्रभागीय वनाधिकारी
ब्रदीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग के मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ— भारत सरकार के पत्र संख्या 08/यू0सी0पी0/06/136/2016/एफ0सी0/1337 दिनांक 2.09.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय एकीकृति क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/136/2016/एफ0सी0/1337 दिनांक 02.09.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुयी हैं सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित है:-

बिन्दु सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में स्वीकृति वन भूमि में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण: (क) वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1660 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा। एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @सी0ए0 Rate for 1-660 he area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा के अनुरूप जमा की जायेगी यहां तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लानटेशन से बचें। राज्य सरकार पौधारोपण योजना क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रिक्त पड़े स्थानों पर 1660 पौधों का रोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु रु. 615697.00(छ: लाख पन्द्रह हजार छ: सौ सत्तानब्बे) की धनराशि आर0टी0ज0एस0एस0बी0आई0 422059824750 दिनांक 28 फरवरी 2022 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। उक्त चयनित स्थल के जियोरिफरेन्स एवं डिजिटील मानचित्र चार चार प्रतियों में सलंग्न है, एवं चयनित भूमि का जिलाधिकारी चमोली के आदेश संख्या 1180/26-4(2024-25) द्वार वन विभाग के नाम काणा 1.660 हे. सिविल भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण किया जा चुका है। अमलदरामद एवं चालान की प्रति सलंग्न है।

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि, आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परयोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त मान्य है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य: (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.09.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.713 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) शर्त संख्या 05 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वर्तमान मूल्य 602485.00 (छः लाख दो हजार चार सौ पिचासी) की धनराशि आर.टी.जी.एस.एस.बी.एन.-422059824750 दिनांक 28.02.2022 वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (ख) वन भूमि के शुद्ध एन०पी०वी० वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो के राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रमाण पत्र संलग्न।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 6 मीटर चौड़ाई में ही 166 trees including 34 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ों राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	बिन्दु संख्या 6 के अनुपालन में दिये गये दिशा निर्देशों पर कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7	State Govt. will submit the village level committee proceedings of gadora village in compliance of Fra	प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting	शर्त मान्य है।

	and commencement of work before stage ii approval as per guidelines para 11.2 the state govt will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission	
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि आर0टी0जी0एस0टी0 द्वारा ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।
10	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्ट्रेट से निर्धारित पमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र सलग्न है।
11	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वनभूमि में निर्माण कार्य के दौरान कोई भी श्रमिक शिविर का निर्माण नहीं किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	सड़क निर्माण के दौरान मजदूरों को वैकल्पिक ईंधन जैसा वैकल्पिक ईंधन आदि की व्यवस्था की जायेगी। जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचा जा सके।
16	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्रों के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।।	निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्रों के अन्दर अतिरिक्त कोई वैकल्पिक मोटर मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ,	शर्त मान्य है।

	जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य एजेन्सी विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करेगी।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविद्विष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण हेतु पूर्व चयनित स्थलों पर मक डिस्पोजल प्लान तैयार कर उसमें उत्सर्जित किया जायेगा। तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजन्सी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।

	सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	
25	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल है। (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त मान्य है।


 28.12.2024
 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रा.खण्ड, लो.नि.वि.,
 गोपेश्वर

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता (प्रथम), प्रा. खण्ड लो.नि.वि., गोपेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण में वन विभाग से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- वनभूमि सहायक/ खण्डीय अमीन प्रा०ख०लो०नि०वि० गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
 प्रा.खण्ड, लो.नि.वि.,
 गोपेश्वर

!! आदेश !!

क्रम सं० ५६८३
पत्रावली सं० २३८४
दिनांक २१-११-२०२४

जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित ल्वाँ-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.७१३ हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित ०१.६६ हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव उप महा निरीक्षक, वन (कें०) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या-०८ बी/यू०सी०पी०/०६/१३८/२०१६/एफ०सी०/१३१७ दिनांक २२.०९.२०२० में प्राविधानित शर्तों के अनुसार उप जिलाधिकारी चमोली के पत्र संख्या-४४/२०का-क्षति०वृक्षा/भूमि अम०/२०२४ दिनांक ०६.११.२०२४ के अनुक्रम में जनपद चमोली के अन्तर्गत ल्वाँ-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.७१३ हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए ग्राम कौंज पोथनी, पटवारी क्षेत्र छिनका, तहसील चमोली, जनपद चमोली की नॉन जेड० ए० खतौनी खाता संख्या-२२, खसरा संख्या-२२४७ रकवा ०.७५३ एवं खसरा संख्या-२२४८ रकवा ०.९२८ हेक्टेयर मध्ये ०.९०७ कुल रकवा ०१.६६० हेक्टेयर श्रेणी-०९ (०३) (ड) "अन्य कृषि योग्य वैजरा भूमि" को प्रमुख सचिव राजस्व, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-२१७३/१८१८(११)/२०१२-१८ (१२०)/२०१० दिनांक १७.१२.२०१२ के आलोक में वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्थान: गोपेश्वर,
दिनांक: नवम्बर २०२४,

(डा० संदीप तिवारी)
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली

संख्या- ११८०/छब्बीस-५ (२०२४-२०२५) दिनांक: गोपेश्वर: १६ नवम्बर २०२४
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- ०१- अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।
- ०२- सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- ०३- सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-०४, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- ०४- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।
- ०५- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- ०६- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार चमोली
- ०७- प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ/केदारनाथ/अलकन्दा वन प्रभाग गोपेश्वर।
- ०८- प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।
- ०९- सहायक भूलेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
- १०- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि० गोपेश्वर।
- ११- कार्यालय प्रति।

Rg. Attached
30/11/2024

P.C. A. L. I. S. T. E. E. D.

30/11/2024

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

जिलाधिकारी,
चमोली।

श्रीम कौज पोखरी
रा० उ० नि० क्षेत्र दिनांक नवम्बर १९५८
1266 P.C.A.
पुनः पुराणा

P.C. Attested

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
The GOPESHWAR

राजलक्ष्मी
क्षेत्र
वर्गमील
दिनांक
चक्रा

कार्म नं प० को ॥

1	2	3	4	5
	नगर अशास्त्र		1257	0.021
			1276	0.109
			1404	0.043
			1407	0.023
			1410	0.029
			1440	0.021
			1461	0.006
			1482	0.018
			1485	0.069
			1501	0.013
			1512	0.278
			1523	0.180
			1575	0.015
			1576	0.015
			1630	0.058
			1836	0.028
			1839	0.320
			1852	0.120
			1864	0.010
			1872	0.009
			1890	0.015
			1891	0.004
			1892	0.006
			1893	0.016
			1894	0.008
			1895	0.001
			1896	0.006
			1898	0.053
			1947	0.176

P.C. Attended

30/12/2021
ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
Jharkhand
GOPESHWAR

राजस्व एवं भू-संसाधन विभाग
क्षेत्र :
तहसील :
पंचायत :

2
1901 88

P.C. Attached
30/12/2024
ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
Jlne GOPESHWAR

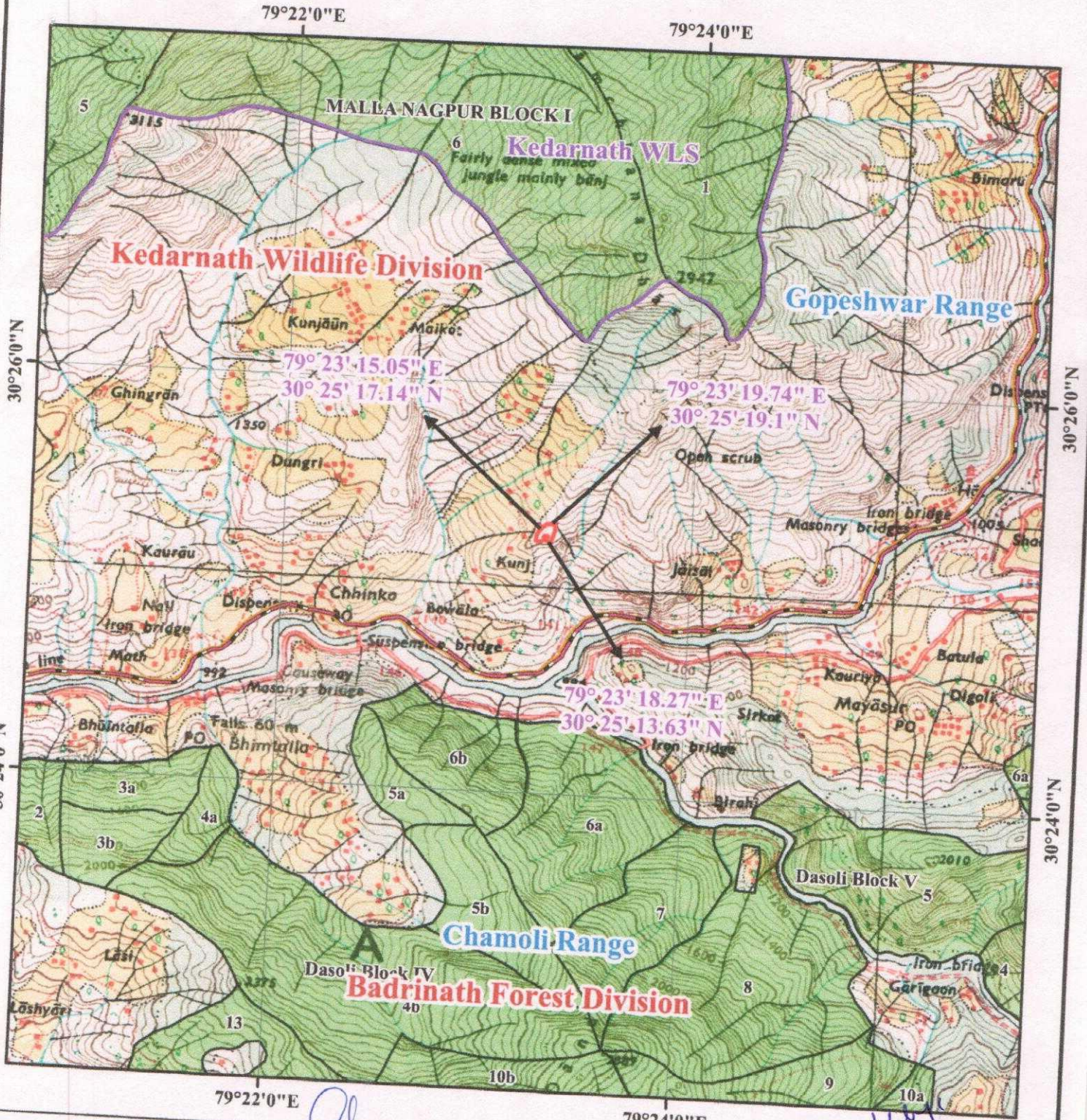
राजेश कुमार
द्वारा
तकरील टाका

डिजिटल मैप:-जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 110/2014 के अंतर्गत
ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूरक
वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल 1.66 है0)

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km
Scale-1:50,000

(21/11/21)

SOI Toposheet No: 53 N/07



Legend

- Range Boundary
- Reserve Forest Area
- Division Boundary
- Proposed Land

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण सड़क लो० नि० वि०
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.

प्रभागीय वन अधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी

गोपेश्वर वन क्षेत्र

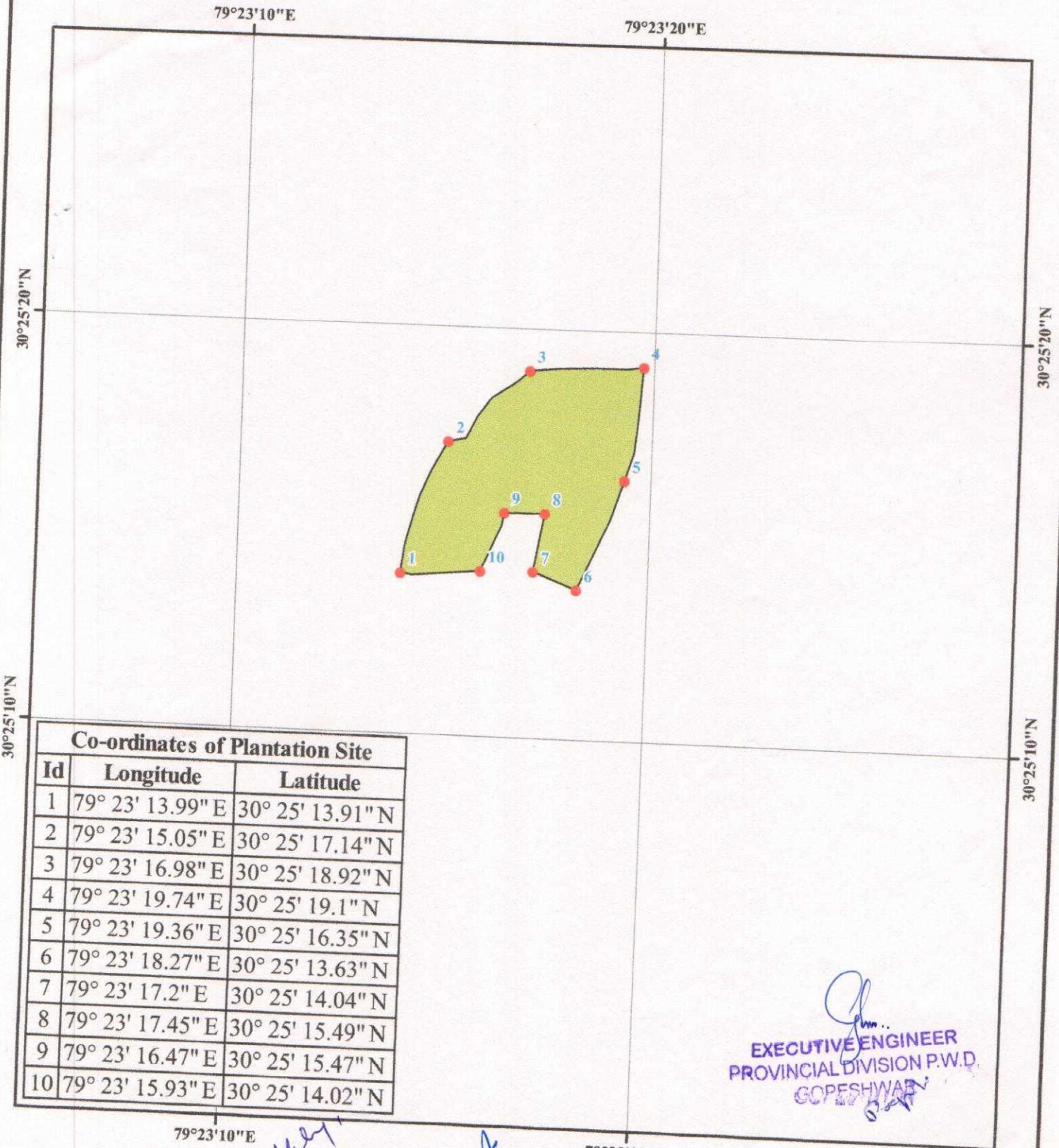
प्रभागीय वन्य जीव प्रभाग

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

जियोरेफेरेंस मैप :- जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 110/2014 के अंतर्गत
लवां-दिगोली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूरक
वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल 1.66 है0)

0 0.050.1 0.2 0.3 0.4
Km

Scale-1:4,000



Co-ordinates of Plantation Site

Id	Longitude	Latitude
1	79° 23' 13.99" E	30° 25' 13.91" N
2	79° 23' 15.05" E	30° 25' 17.14" N
3	79° 23' 16.98" E	30° 25' 18.92" N
4	79° 23' 19.74" E	30° 25' 19.1" N
5	79° 23' 19.36" E	30° 25' 16.35" N
6	79° 23' 18.27" E	30° 25' 13.63" N
7	79° 23' 17.2" E	30° 25' 14.04" N
8	79° 23' 17.45" E	30° 25' 15.49" N
9	79° 23' 16.47" E	30° 25' 15.47" N
10	79° 23' 15.93" E	30° 25' 14.02" N

[Signature]
EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

Legend

- GPS Coordinates
- Plantation Site

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

[Signature]
सहायक अभियन्ता
ग्रन्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

[Signature]
वन क्षेत्रधिकारी
गोपेश्वर वन क्षेत्र
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

परियोजना का नाम- जनपद चमोली के माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत -ल्वां -दिगोली-मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.660 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन।

रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या- 1826 पौध।

रोपित की जाने वाली प्रजाति- मिश्रित प्रजाति।

क्र०सं.	कार्य का विवरण	सं०	ल०	चौ०	ऊ०	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि
प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)									
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में सर्वेक्षण/सीमांकन कार्य					1.66	209.25	है०	347.36
2	स्थल सफाई कार्य					1.66	6523.58	है०	10829.14
3	गद्दे खुदान एवं रेखांकन कार्य चूना सहित (0.30×0.30×0.45 मी०)					1826	14.28	प्रतिगद्दा	26075.28
4	पत्थरों की कुली दीवाल बनाना 15 सेमी० बुनियाद सहित(500 से 1000 मी० ढ़लान तक)	1	539.00	0.45	1.20	291.06	773.24	घ०मी०	225059.23
5	कण्टूर फर हेतु रेखांकन		3.00	0.30	0.20	400	1.42	प्रति सं०	568.00
6	कण्टूर फर खोदना		3.00	0.30	0.20	400	137.56	प्रति सं०	55024.00
9	मृदा एवं जल संरक्षण हेतु कच्चे चाल खालों का निर्माण एवं अन्य अभियंत्रिकी कार्य					1.66	11984.00	है०	19893.44
10	निरीक्षण बटिया बनाना	1				1.66	1314.09	है०	2181.39
11	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)					1826	24.20	प्रति पौध	44189.20
12	अन्य प्रकीर्ण व्यय (बीज बोना, पानी की व्यवस्था इत्यादि)					1.66	1200.51	है०	1992.85
13	रिंगाल के राइजोम एकत्रित करना मय ढ़लान रोपण कार्य					1500.00	868.07	प्रति 100 सं०	13021.05
14	गली प्लग हेतु बुनियाद खुदान कार्य	6	2.60	1.00	0.30	4.68	424.80	प्रति घ०मी०	1988.064
15	बुनियाद सहित गली प्लग निर्माण कार्य	6	2.60	1.00	1.20	18.72	2415.90	प्रति घ०मी०	45225.648
योग प्रथम चरण									446394.65
द्वितीय चरण									
1	गद्दा भरान कार्य (0.30×0.30×0.45) रेखांकन चूना सहित					1826.00	2.45	प्रतिगद्दा	4473.70
2	कण्टूर फरों में बीज बोना (बीज एकत्रीकरण तथा कटिंग ढ़लान सहित)					400	10.42	प्रति फर	4168.00
3	पौध ढ़लान कार्य					1826	14.25	प्रति पौध	26020.50
4	पौध रोपण कार्य					1826	4.61	प्रति पौध	8417.86
5	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष					1826	4.31	प्रति सैकड़ा	7870.06
6	पौधों की प्रथम द्वितीय निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य					1826	7.10	प्रति	12964.60
7	चौकीदारी माह अगस्त से मार्च तक (08 माह)	8				1.66	1028.40	प्रति है०/प्रति माह	13657.15
8	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य					1.66	820.13	ल०सं०	1361.42
9	अन्य प्रकीर्ण व्यय					1.66	2040.00	प्रति है०	3386.40
योग द्वितीय वर्ष									82319.69
तृतीय वर्ष									
1	तृतीय वर्ष में 10 प्रतिशत वीटिंग अप हेतु पौध की लागत					183	34.44	प्रति पौध	6302.52
2	पौध ढ़लान कार्य					183	14.25	प्रति पौध	2607.75
3	गद्दा खोदना, कीटनाशक मिलाकर नरान एवं धावलाबन्दी कर रोपण करना					183	20.60	प्रति पौध	3769.80
4	शीतकालीन निराई गुड़ाई प्रथम, द्वितीय बार					1826	6.05	प्रति प्रति पौध	11047.30
5	तृतीय वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12				1.66	1028.40	प्रति है०/प्रति माह	20485.73
6	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य					1.66	820.13	प्रति है०	1361.42
7	अन्य व्यय							ल०सं०	5000.00
योग तृतीय वर्ष									50574.51
चतुर्थ वर्ष									

1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			1.66	1028.40	प्रति हे०/प्रति माह	20485.73
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य				1.66	820.13	ल०स०	1361.42
3	पौधों की निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य				1826	7.00	प्रति सैकड़ा	12782.00
योग चतुर्थ वर्ष								34629.14
पंचम वर्ष								
1	पंचम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			1.66	1028.40	प्रति हे०/प्रति माह	20485.73
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य				1.66	820.13	प्रति हे०	1361.42
योग पंचम वर्ष								21847.14
षष्ठम वर्ष								
1	षष्ठम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			1.66	1028.40	प्रति हे०/प्रति माह	20485.73
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य				1.66	820.13	प्रति हे०	1361.42
योग षष्ठम वर्ष								21847.14
सप्तम वर्ष								
1	सप्तम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			1.66	1028.40	प्रति हे०/प्रति माह	20485.73
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य				1.66	820.13	प्रति हे०	1361.42
योग सप्तम वर्ष								21847.14
अष्टम वर्ष								
1	अष्टम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			1.66	1028.40	प्रति हे०/प्रति माह	20485.73
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य				1.66	820.13	प्रति हे०	1361.42
योग अष्टम वर्ष								21847.14
नवम वर्ष								
1	नवम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			1.66	1028.40	प्रति हे०/प्रति माह	20485.73
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य				1.66	820.13	प्रति हे०	1361.42
योग नवम वर्ष								21847.14
दशम वर्ष								
1	दशम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			1.66	1028.40	प्रति हे०/प्रति माह	20485.73
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य				1.66	820.13	प्रति हे०	1361.42
योग दशम वर्ष								21847.14
total								745000.86
or say								744993.06

प्रमुख वन भवन मो. 71320 वन विभाग के तहत वर्ष 2023-24 में निर्धारित सीलिंग अनुसार देय धनराशी

$$= 1.66 \times 448791.00/-$$

$$= 7,44,993.06$$

$$or say = 744993.00$$

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

वन क्षेत्र अधिकारी
गोपेश्वर वन क्षेत्र
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

जांच किया रुपये 7,44,993.00 मात्र है लिए।

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वन अधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

एन.पी.वी. प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

जनपद चमोली में ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 है० वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन.पी.वी. की धनराशि यदि मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढ़ी हुई एन.पी.वी. धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।

[Signature]
28/1/2024

ASSISTANT ENGINEER
PROJECT DIVISION
C.O. LUTHER

[Signature]

अध्यास
प्रतिष्ठान
Bach

[Signature]

अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
मुम्बई श्वर।

भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण के दौरान भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

[Signature]
28/12/2024

[Signature]

[Signature]

[Signature]
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
गोपेश्वर।

P.C. Attested

[Signature]
30/12/2024
ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

~~सहमति प्रमाण पत्र~~

सहमति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गडोरा

- ① श्री शम्भुप्रसाद सती जी
- ② " सच्चिदानंद जी हटवाल
- ③ " पुरुषोत्तम दत्त सती
- ④ " लोकानंद हटवाल
- ⑤ " नवीन भट्टियाल
- ⑥ " कैलाश सती
- ⑦ " लक्ष्मी दत्त देवली
- ⑧ " बालकृष्ण सती
- ⑨ " कृष्ण मुरारी
- ⑩ " योगम्बरसिंह
- ⑪ " विजय हटवाल
- ⑫ " ललित सती
- ⑬ श्रीमती सुशीला देवी
- ⑭ " तिलोत्तमा देवी
- ⑮ " गुडडी देवी
- ⑯ " गीतादेवी गीतादेवी

सुनील के
समस्त क्षेत्र पंचायत
बाहुला (दशोली) मो

अनीता देवी
प्रेमा देवी
देवकी देवी
सुशीला देवी
ऊषा देवी
ललिता देवी
गुडडी देवी
राजेश्वरी देवी
मनो देवी
विजया देवी
नीना देवी
उमा देवी

रमा देवी
उडडी निधाल
शान्ता देवी
विनीता देवी
जीवन्ती देवी
सुखी देवी
मंजु देवी
धने श्वरी

ग्राम पंचायत गडोरा
हस्ताक्षर
दिनांक 26-7-2017
गडोरा दशोली

ग्राम पंचायत गडोरा
हस्ताक्षर
दिनांक 26/7/17
गडोरा दशोली

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 04-10-2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.713 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of MaherGaon motor road from Luhwa-Degoli motor road, Under State Sector at Dasoli Block in District- Chamoli. 1.50 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.713 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature
4/10/17
(District Magistrate Chamoli)
जिलाधिकारी
चमोली

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

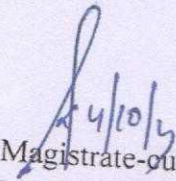
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated 04-10-2017 at time 17:00 hrs at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.713 hect for the construction of Construction of MaherGaon motor road from Luhwa-Degoli motor road, Under State Sector at Dasoli Block in District- Chamoli. 1.50 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 04-10-2017


District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee Chamoli

जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत रा.ड.का. गडौरा से महरगाव (बमेठी) मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।
कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्तावित उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली

में रा.ड.का. गडौरा से महरगाव बमेठी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 16/01/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- 1- श्री अवधेश कुमार सिंह उपजिलाधिकारी (सदर) 16/01/15 अध्यक्ष
- 2- श्री स. स. सुश्रुत उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री म. र. र. र. सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव
- 4- श्री सुनील कोठियाल बाटुला बी.डी.सी. क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत ग्राम महरगाव बमेठी

ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत रा.ड.का. गडौरा से महरगाव बमेठी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

16/01/15
उपजिलाधिकारी
अध्यक्ष

16/01/15
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य

16/01/15
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

16/01/15
बी.डी.सी. क्षेत्र
सदस्य

16/01/15
प्रभागीय वनाधिकारी

16/01/15
बटुला वन भाग
मोहम्मद (चमोली)

16/01/15
पं० सुनील कोठियाल
सदस्य क्षेत्र चमोली

16/01/15
बाटुला (दशोली) चमोली

परियोजना का नाम :

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशौली में ग्रा.पं. लखौट महाराज अन्तर्गत रा.ड.का. 0.713 हे० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 0.713 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर प्रधान



प्रपत्र -23.1

दि. 16/11/15 को ग्राम सभा जवाँह / गजौरा

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम		ग्राम	हस्ताक्षर
		जवाँह	
1) विजेन्द्र लाल		—	विजेन्द्र लाल
2) हरिश्च लाल		—	हरिश्च लाल
3) अलमूल लाल		—	अलमूल लाल
4) सुनील कोठियाल	श्रेष्ठ पं. सदस्य	—	सुनील कोठियाल
5) सुकमदी देवी	बाहुना	—	सुकमदी देवी
6) लक्ष्मण लाल		—	लक्ष्मण लाल
7) जयहिन्द लाल		—	जयहिन्द लाल
8) गुडडी देवी		—	गुडडी देवी
9) दीपानी देवी		—	दीपानी देवी
10) धनश्याम लाल		—	धनश्याम लाल
11) नन्द लाल		गजौरा	नन्द लाल
12) सावित्री देवी		—	सावित्री देवी
13) बबीता देवी		—	बबीता देवी
14) सरिता देवी		—	सरिता देवी
15) लखवत लाल		—	लखवत लाल
16) राधा देवी		—	राधा देवी
17) श्री अश्विनी प्रसाद डबराल		—	श्री अश्विनी प्रसाद डबराल
18) श्रीमति मंजू देवी		—	श्रीमति मंजू देवी
19) रत्नशंकर प्रसाद डबराल		—	रत्नशंकर प्रसाद डबराल
20) जीमती पुष्पा देवी		—	जीमती पुष्पा देवी
21) विश्वेश्वरी देवी		—	विश्वेश्वरी देवी
22) राजकु लाल		—	राजकु लाल
23) रामेश्वरी देवी		—	रामेश्वरी देवी
24) नारायण लाल		—	नारायण लाल
25) सतेश्वरी देवी		—	सतेश्वरी देवी
26) गजेन्द्र लाल		—	गजेन्द्र लाल
27) सरिता देवी		—	सरिता देवी
28) मदन लाल		—	मदन लाल

30	रेखा देवी	—	रेखा देवी
31	सुरेशा देवी	—	सुरेशा देवी
32	विशेश्वरी देवी	—	विशेश्वरी देवी
33	श्रीगुड्ड बाबा	—	श्रीगुड्ड बाबा
34	पुष्कर लाल	—	पुष्कर लाल
35	संदीप लाल	—	संदीप लाल
36	विनीत लाल	—	विनीत लाल
37	मैत्री देवी	—	मैत्री देवी
38	मनोहर लाल	—	मनोहर लाल
39	पद्मेन्दु लाल	—	पद्मेन्दु लाल
40	गंगा देवी	—	गंगा देवी
41			
42			

श्रीमान अधिकारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर (चमौली)

महोदय,

गडोरा - किस्ली मोटर मार्ग के किमी० 4 से मेहर गांव
मोटर मार्ग लम्बाई 1.5 किमी० के समरेखन से समस्त ग्राम-
वासी अनुसर है।

अतः इस समरेखण से ग्रामवासीयों को किसी भी
प्रकार की आपत्ति नहीं है।

सुने देवी देवी

(10) मदन लाल

(11) अनामिका लाल

(12) रीतिका लाल

(13) धनश्याम

(14) सातेश्वरी

(15) राममंजी देवी

(16) रामेश्वरी

(17) विष्णुवती

(18) गंगा देवी

(19) पुष्पा देवी

(20) राजना देवी

(21) गुडडी देवी

(22) रामेश्वरी

भवदीय

समस्त ग्रामवासी

मेहर गांव

Pt. Attested

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.

Pt. Attested

(10)

सहायक अभियन्ता

प्रा० ख० लो० नि० वि०

गोपेश्वर

नरेंद्र लाल

28-7-2017

सहायक अभियन्ता

प्रा० खण्ड लो० नि० वि०

गोपेश्वर

(10)

(22) रामेश्वरी

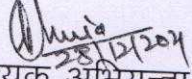
नरेंद्र लाल

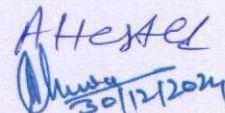
नरेंद्र लाल

प्रमाण पत्र

विषय— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोल मोटर मार्ग के मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम से वैकल्पिक ईंधन जैसा कैरोसीन आदि की व्यवस्था की जायेगी।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

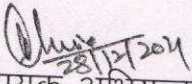
P.L. 
30/12/2024
ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
Shri. GOPESHWAR

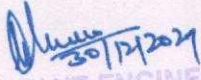

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषय- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोल मोटर मार्ग के मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना लागत पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

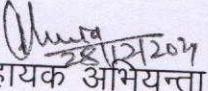
P.C. Attested

30/12/2021
ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
HMC GOPESHWAR


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

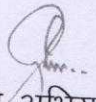
विषय- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोल मोटर मार्ग के मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर अतिरिक्त कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

P.C. Attested

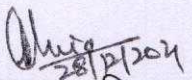
ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
Mhe. GOPESHWAR

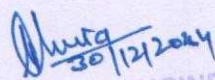

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषय— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोल मोटर मार्ग के मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
गोपेश्वर

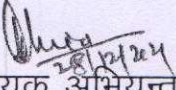
P.L. Attested

30/12/2024
ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
JMC GOPESHWAR

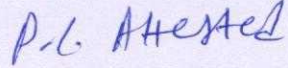
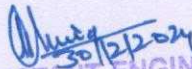

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषय— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोल मोटर मार्ग के मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रस्तावित भूमि को किसी अन्य एजेन्सी विभाग व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

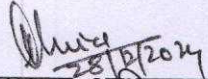


30/12/2024
ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
Jme GOPESHWAR

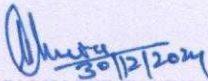

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषय— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोल मोटर मार्ग के मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण हेतु चयनित स्थलों पर मलवा उत्सर्जित किये जाने के साथ-साथ मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने तथा वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

P.C. Attested

30/12/2024
ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
G.P. GOPESHWAR


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर